न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 303 / 2025

मोहर सिंह पुत्र बालूराम, जाति माली निवासी झीलों की ढाणी कासिमपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज.)

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला झुन्झुनूं।

——रेस्पोडेन्ट

———

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 11.12.2023 द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार झुन्झुनूं उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मोहरसिंह मु.न. 27 / 2023 अन्तर्गत धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :—

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.10.2025

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, झुंझुनूं के आदेश दिनांक 11.12.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्नलिखित आधारों संहित सेवामे पेश है कि अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 11.12.2023 विरुद्ध, कानून व पत्रावली है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य पर गौर न कर विवादित भूमि से अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है। विवादित भूमि पर 150 वर्गगज का पट्टा अपीलान्ट के हक में विकास अधिकारी पंचायत समिति झुंझुनू द्वारा दिनांक 26.10.1975 जारी किया हुआ है उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने उक्त कानूनी तथ्यों पर गौर न कर अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। उक्त भूमि ग्राम कासिमपुरा की किस्म वास्तविक रूप से आबादी भूमि के रूप से तस्दीक हो चुकी है। अपीलान्ट के परिवार का कब्जा सन् 1975 से चला आ रहा है। अपीलान्ट ने भूमि खसरा नं. 141 में रिहायशी मकान बना रखे हैं, उसमें बिजली पानी का कनेक्शन ले रखा है। अपीलान्ट के हक में सन 1975 में 150 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया हुआ है। अपीलान्ट को परिवार अपने पट्टे शुदा भूमि पर ही काबिज है जो अपने बाप दादा के समय से ही चला आ रहा है। अपीलान्ट का परिवार उक्त जगह पर काफी वर्षो से रह रहा है इसलिए अपीलान्ट का प्रकरण नियमन की तारीफ में आता है। अपीलान्ट का प्रकरण अतिक्रमी की तारीफ में नहीं आता है। अपीलान्ट के केश में मैरिट है। अपीलान्ट को समरी प्रोसिडिंग के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता है। उक्त कानूनी बिन्दू पर अदालत मातहत ने गौर न कर अपीलान्ट को बेदखल करने में भूल कानूनी की है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह दर्ज किया है कि पट्टे में भूमि खसरा न. अंकित नहीं हैं जबकि अपीलान्ट अपनी पट्टाशुदा 150 वर्गगज पर आबाद है। उक्त कानूनी बिन्दू पर गौर न कर निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है। अपीलान्ट के पास अन्य कोई रिहायशी भूमि नहीं है। उक्त भूमि में अपीलान्ट में मकानात बना रखे हैं जो रिहायश के काम में लेता है तथा अपीलान्ट लैण्ड लेस व्यक्ति है जिसके हक में भूमि को नियमन किये जाने में कोई

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

स्पष्ट रूकावट नहीं है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 11.12.2023 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में **S.B. Civil writ petition no. 19072/2024** पेश की जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.09.2025 के द्वारा अपीलान्ट को नकल मिलने के एक सप्ताह के अन्दर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं के यहां अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है अपीलान्ट को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16.09.2025 को प्राप्त हुई। नकल मिलने के रोज से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अदालत मातहत दिनांक 11.12.2023 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य पर गौर न कर विवादित भूमि से अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है। विवादित भूमि पर 150 वर्गगज का पट्टा अपीलान्ट के हक में विकास अधिकारी पंचायत समिति झुंझुनू द्वारा दिनांक 26.10.1975 जारी किया हुआ है उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने उक्त कानूनी तथ्यों पर गौर न कर अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। उक्त भूमि ग्राम कासिमपुरा की किस्म वास्तविक रूप से आबादी भूमि के रूप से तस्दीक हो चुकी है। अपीलान्ट के परिवार का कब्जा सन् 1975 से चला आ रहा है। अपीलान्ट ने भूमि खसरा नं. 141 में रिहायशी मकान बना रखे हैं, उसमें बिजली पानी का कनेक्शन ले रखा है। अपीलान्ट के हक में सन 1975 में 150 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया हुआ है। अपीलान्ट को परिवार अपने पट्टे शुदा भूमि पर ही काबिज है जो अपने बाप दादा के समय से ही चला आ रहा है। अपीलान्ट का परिवार उक्त जगह पर काफी वर्षों से रह रहा है इसलिए अपीलान्ट का प्रकरण नियमन की तारीफ में आता है। अपीलान्ट का प्रकरण अतिकमी की तारीफ में नहीं आता है। अपीलान्ट के केश में मैरिट है। अपीलान्ट को समरी प्रोसिडिंग के द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता है। उक्त कानूनी बिन्दू पर अदालत मातहत ने गौर न कर अपीलान्ट को बेदखल करने में भूल कानूनी की है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह दर्ज किया है कि पट्टे में भूमि खसरा न. अंकित नहीं हैं जबकि अपीलान्ट अपनी पट्टाशुदा 150 वर्गगज पर आबाद है। उक्त कानूनी बिन्दू पर गौर न कर निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है। अपीलान्ट के पास अन्य कोई रिहायशी भूमि नहीं है। उक्त भूमि में अपीलान्ट में मकानात बना रखे हैं जो रिहायश के काम में लेता है तथा अपीलान्ट लैण्ड लेस व्यक्ति है जिसके हक में भूमि को नियमन किये जाने में कोई स्पष्ट रूकावट नहीं है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 11.12.2023 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में **S.B. Civil writ petition no. 19072/2024** पेश की जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.09.2025 के द्वारा अपीलान्ट को नकल मिलने के एक सप्ताह के अन्दर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं के यहां अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है अपीलान्ट को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 16.09.2025 को प्राप्त हुई। नकल मिलने के रोज से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अदालत मातहत दिनांक 11.12.2023 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने गैर मुमकीन चारागाह की भूमि पर पक्का आवास बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने गैर मुमकीन चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम झीलो की ढाणी स्थित भूमि ख0न0 141 रकबा 2.87 है0 किस्म गैर मुमकीन चारागाह मे से 0.02 है0 भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी के संबंध में 150 वर्गगज का पट्टा दिनांक 26.10.1975 को जारी किया गया था। अपीलान्ट अपने पट्टेशुदा भूमि पर काबिज काश्त है, जिसकी जांच अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये जाने अर्थात पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देते हुये किया जाना चाहिए। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 11.12.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका देकर तथा अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे पट्टे की जांच करते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं